धारा 87 : कंपनियों के समामेलन या विलयन की दशा में दायित्व

(1) जब दो या अधिक कंपनियों का किसी न्यायालय या अधिकरण या अन्यथा के आदेश के अनुसरण में समामेलन या विलयन होता है और ऐसा आदेश, आदेश किए जाने की तारीख से पूर्व प्रभावी होना है तथा दो या उससे अधिक ऐसी कंपनियों ने एक दूसरे को आदेश के प्रभावी होने की तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि से आदेश की तारीख के बीच माल की या सेवाओं की या दोनों की पूर्ति की है या माल को या सेवाओं को या दोनों को प्राप्त किया है तब ऐसी पूर्ति और प्राप्ति के संव्यवहारों को संबंधित कंपनियों के पूर्ति या प्राप्ति आवर्त में सम्मिलित किया जाएगा और वे तदनुसार कर का संदाय करने की दायी होंगी।

(2) उक्त आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी दो या अधिक कंपनियों को उक्त आदेश की तारीख तक की अवधि के लिए सुभिन्न कंपनियां समझा जाएगा और उक्त कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उक्त आदेश की तारीख से रद्द किया जाएगा।